# न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

## विभाजन निष्पदन वाद–01/2016

सिंगेश्वर सिंह वगैरह.....वादीगण

बनाम

मो0 सुबधी देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

**आदेश**

07.07.22 अभिलेख आज डिक्रीदार की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–07.06.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–26.06.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

डिक्रीदार आवेदक ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत इजराय वाद फाइनल डिक्री के सम्पुष्टि पश्चात् दाखिल किया गया है जिसमें खेसरा 516 पर निर्णित ऋणी द्वारा मकान बनाए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश दिनांक–13.04.2022 को पारित किया गया जिससे आक्रोशी होकर निर्णित ऋृणी द्वारा अन्य भूमियों का विक्रय करने के लिए ग्राहक ढुंढना शुरू कर दिए है। विभाजन वाद सं0–135/1996 के डिक्रीदार होने के कारण प्रथम दृष्टया वाद उनके पक्ष में और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में होने के कारण भूमि विक्रय होने के उपरान्त उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। आवेदक का आवासीय मकान खेसरा 344, 338, 339 एवं 347 पर अवस्थित है जिसका रास्ता निर्णित ऋृणी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है तथा छत पर जाने वाली सीढ़ियों को भी घेरना चाह रहे हैं। अतः व्यादेश द्वारा उन्हें उस भूमि के व्ययन एवं निर्माण कार्य से रोके जाने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में निर्णित ऋृणी का यह अभिकथन है कि उपरोक्त आवेदन पोषणीय नहीं है, चूँकि बंटवारा वाद सं0–135/1996 में वादी द्वारा उन्हें नाबालिग प्रतिवादी बनाते हुए एकपक्षीय डिक्री करा लिए जिसके लिए एक विविध वाद सं0–13/2016 इस न्यायालय में सुनवाई हेतु चल रहा है। उस वाद के अनुसार निर्णित ऋृणी का अंश 1/4 है। विविध वाद सं0–13/2016 के लंबित रहते हुए प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का आदेश न्यायोचित नहीं है। अतः उनका आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत इजराय वाद बंटवारा वाद सं0–135/1996 में पारित फाइनल डिक्री दिनांक–22.10.2005 के निष्पादन हेतु दाखिल किया गया है जिसके संबंध में आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत विविध वाद सं0–13/2016 लंबित है। उपरोक्त आवेदन में वादी के आवेदन से ही यह स्पष्ट है कि पूर्व न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री कार्रवाई के समय दाखिल सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन सम्पुष्ट करा दिया गया जबकि डिक्रीदार का यह कथन है कि उक्त भूमि निर्णित ऋृणी द्वारा विक्रय हेतु आशयित है। साथ ही साथ प्रस्तुत वाद में उन्होंने कुछ भाग के दखल–कब्जा वापसी करवाए जाने की भी मांग की है जिससे यह परिलक्षित होता है कि फाइनल डिक्री की कार्रवाई युक्तियुक्त नहीं थी एवं ग्यारह वर्षों के पश्चात्

P.Ex-01/16

07.07.2022 वर्तमान इजराय वाद का दाखिल किया जाना वादी की स्पष्ट मनोदशा को परिलक्षित करता है।

इस न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश दिनांक–13.04.2022 द्वारा यह स्पष्ट आदेशित है कि समस्त विवादी भू–भाग पर पूर्व न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है जो किसी समय बाधा से ग्रसित नहीं है। अतः उक्त भूमि मे से किसी अन्य विनिर्दिष्ट भूमि पर अलग से व्यादेश पारित किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है एवं यह आदेश यदि पारित किया जाता है तो अनावश्यक रूप से एक संशय की स्थिति पैदा करेगा जो न्यायहित में किसी भी पक्षकार के बीच श्रेयश्कर नहीं होगा। तद्नुसार उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के आलोक में डिक्रीदार आवेदक द्वारा दाखिल व्यादेश हेतु उपरोक्त आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है एवं वर्तमान इजराय वाद को पोषणीयता की बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

वाद दिनांक–26.07.2022 वास्ते सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

सोनेलाल रजक,
अवर न्यायाधीश, पठोरी